भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300911

30 NOV 2009

1. भूमि का प्रकार– आवासीय
2. वार्ड/परगना– हरीपर्वत आगरा
3. मोहल्ला– ग्राम लश्कर पुर मुहाल चौथे लाल कब्जा नम्बर एक तहसील व जिला आगरा।
4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि नीम चौक ए. निगजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 832 व 833 ग्राम लश्कर पुर मुहाल चौथे लाल कब्जा नम्बर एक कॉरपोरेशन संख्या 28/232–ए
5. मापन की ईकाई– वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 277.59
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)– लागू नहीं
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर आदि)–
   – कॉर्नर – नहीं
   – दो साईड – नहीं
   – पार्क फेसिंग – नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार– पुराना मकान
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिले भवन की स्थिति में)– लागू नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल– 18.29
12. स्थिति– फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य– लागू नहीं
13. पेड़ों का मूल्यांकन– लागू नहीं
14. बोरिंग/कुआँ/अन्य– लागू नहीं

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

For B. ... Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300912

30 NOV 2014

15. निर्मित क्षेत्रफल– 18.20
16. निर्माण का वर्ष– वर्ष 1960 से पूर्व
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
18. प्रतिफल की धनराशि– 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपयों में।
19. चौहद्दी–

दिशायें–	सीमायें–
पूर्व–	मकान अन्य व्यक्ति।
पश्चिम–	कुछ भाग मे मकान श्री महावीर प्रसाद व शेष भाग मे भूखण्ड श्री बी. सी. अग्रवाल फाउण्ड्री।
उत्तर–	भूखण्ड श्री बी. सी. अग्रवाल फाउण्ड्री।
दक्षिण–	कुछ भाग मे मकान श्री महावीर प्रसाद व शेष भाग मे सड़क आम, इस ओर निकास आदि इस मकान के है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B. C. Agarwal Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300913

30 NOV

प्रपत्रपत्र की संख्या (दो) विक्रेतागण का विवरण–

1. नाम–

1.1 श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार व

1.2 श्रीमती सीमा अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार व

1.3 कुमारी रानी अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, व्यवसाय– व्यापार निवासीगण 20/232–ए, सुल्तानगंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– विद्यार्थी व

1.4 श्रीमती प्रीति अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल धर्मपत्नी श्री भरत बंसल निवासिन 5/03, मानपाड़ा शहर आगरा व्यवसाय– व्यापार

2. नाम– मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री (भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932 व उसके संशोधनों के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत भागीदारी फर्म, कि जिसका अंतिम संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के संशोधित हुआ है) पंजीकृत कार्यालय स्थित सुल्तानगंज आगरा द्वारा वर्तमान भागीदारगण–

2.1 श्री नंद किशोर गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी 20/238, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Priti Bansal

For ... Foundry

... Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR-PRADESH

A 300914

30 NOV 2009

अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 94 सदरबाजार उप निबन्धक पंचम आगरा व

2.2 श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 26/229, सुलतान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय– व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 283 से 292 क्रमांक 93 सदरबाजार उप निबन्धक पंचम आगरा।

द्वितीयपक्ष की संख्या (एक), क्रेता का विवरण

1. नाम– मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनीज अधिनियम वर्ष 1956 के प्राविधानों के अनुसार इनकॉरपोरेटेड कम्पनी, इनकॉरपोरेशन संख्या यू 45400 यूपी

FOR SU... LTD

AUTHORISED SIGNATORY

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For R.K. Alok Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300107

10 NOV 2009

...308 पीटीसी 036002 वर्ष 2008–2009, आर. ओ. सी. उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल) पंजीकृत कार्यालय स्थित 18/160ए/1–सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं प्रतिनिधिगण–

1.1 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र निवासी 18/160ए/1सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

1.2 श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी ई 14/18, वसिष्ठ नगर, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार।

तृतीयपक्ष की संख्या (पांच), सहमति/अनापत्ति प्रकट करने वालों का विवरण–

1. श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उर्फ निवासी 26/229, सुल्तानगंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा वर्तमान निवासी फ्लैट संख्या 502, जय ज्योति अपार्टमेण्ट्स, सुल्तानगंज चौराहा, बाई पास रोड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

Priti Bansal

For ... Iron Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181737

26 NOV 2009

2. नाम- श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त वर्तमान निवासी डी 147, सैक्टर 26, नौयडा, उत्तर प्रदेश, व्यवसाय व्यापार व

3. नाम- श्रीमती सुषमा अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश स्वरुप अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन केअर ऑफ जीतशाह आयरन फाउण्ड्री, जी. टी. रोड शहर बटाला, पंजाब, व्यवसाय–व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 4 पृष्ठ संख्या 303 से 312 क्रमांक 35 दफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

4. नाम- श्रीमती सुधा गुप्ता धर्मपत्नी श्री रवीन्द्र पाल गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन हाउस संख्या 405, फोर्थ फ्लोर, शक्ति अपार्टमेण्ट्स, सैक्टर–14, कौशल्या, शहर फरीदाबाद, व्यवसाय–व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी–147, सैक्टर–26, नौयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For R. M. Iron Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181738

26 NOV 2009

20/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 313 से 322 क्रमांक 96 दफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

6. श्रीमती अंजू गुप्ता धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 1, माहिमवालवाला कॉलोनी, मलाड (वेस्ट), मुम्बई, व्यवसाय–व्यापार।

उ0 प्र0 स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की धारा 2(10) व 4 सपठित अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 23–ए व 5 (बी–1) व धारा 16 के अनुसार स्टाम्पित

– विक्रयपत्र तादादी 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपया।

– एक किता भूमि नॉन जैड. ए. मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मुहाल चौथे लाल कब्जा नम्बर एक, कॉरपोरेशन संख्या 26/232–ए हरी पर्वत वार्ड आगरा मय आवासीय पुराने निर्माण, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और जिसके चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या में नये–पुराने आवासीय भवन व खुले भूखण्ड है, मय कुल वस्तु व अधिकार मुताल्लिका कि जिसकी सीमाये उपरोक्त दी गई हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

विनोद कुमार गुप्ता

DIRECTOR

Priti Bansal

For P.C. Iron Foundry

Authorised Signatory

अन्जु गुप्ता

अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181739

26 NOV 2009

– कुल क्षेत्रफल 277.59 वर्गमीटर कि जिसमें 18.29 वर्गमीटर में पुराने आर. बी. सी. के पटाव के आवासीय निर्माण बने हैं कि जिनकी आयु 60 वर्ष है कि जिसमें से 48 वर्ष की आयु बीत चुकी है और 12 वर्ष की आयु शेष है। ह्रास नियम प्रभावी है।

– कलक्टर आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर के क्षेत्र लश्करपुर के लिये उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली वर्ष 1997 के नियम 4 (2) में जाँच के उपरान्त अपने आदेश पत्रांक 93/स्टा0 वाद0 दिनांक 11/08/2009 के द्वारा भूमि की दर 10,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर घोषित की है। आर. बी. सी. के पटाव के निर्माण के लिये दर 6,500/– रुपया प्रति वर्गमीटर है। बीस वर्ष से अधिक पुराने निर्माणों पर ह्रास नियम प्रभावी है।

– उक्त दर व ह्रास नियम व वास्तविक विक्रयमूल्य के अनुसार इस विक्रयपत्र पर स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 34,50,000/– रुपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से बिलमुक्ता 2,41,500/– रुपया का स्टाम्प देय है जिस में से पंजीकृत विक्रय के अनुबन्धपत्र लेख दिनांक 15/07/2009 व निबन्धन दिनांक 15/07/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6603 पृष्ठ संख्या 241 से 274 क्रमांक 2712 दफ्तर उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर पर उक्त धारा 4 सपठित अनुच्छेद

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B. C. Iron Foundry

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181668

अखलाख खाँ
कोषाधिकारी
/09
26 NOV 2009
कोषागार, आगरा

[illegible] (बी-[illegible]) के अनुसार 69,000/- रुपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष ने अदा कर दिया है कि जो इस विक्रयपत्र ने उक्त अनुच्छेद एवं धारा 16 के अनुसार मुजरा लेकर शेष 1,72,600/- रुपया का स्टाम्प [illegible] द्वितीयपक्ष ने अदा किया है।

विक्रयपत्र

हम कि -

1. श्री जुगल किशोर अग्रवाल उक्त व
2. श्रीमती सीमा अग्रवाल उक्त व
3. कुमारी तनवी अग्रवाल उक्त व
4. श्रीमती प्रीति अग्रवाल उक्त, - भूमि के पट्टाधारक एवं निर्माणों के स्वामी विक्रेतागण प्रथमपक्ष व
5. मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री उक्त - भूमि स्वामी विक्रेता द्वितीयपक्ष एवं।
6. मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त - क्रेता तृतीयपक्ष व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For B. C. Iron Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181669

अखलाँख खाँ
कोषाधिकारी
26 NOV 2009
कोषागार, आगरा

एवं।

7. श्री विजय कुमार अग्रवाल उक्त व

8. श्री अजय कुमार अग्रवाल उक्त व

9. श्रीमती सुषमा अग्रवाल उक्त व

10. श्रीमती सुधा गुप्ता उक्त व

11. श्रीमती अंजू गुप्ता उक्त – सहमति/अनापत्ति प्रकट करने वाला चतुर्थपक्ष है।

विदित हो कि –

1. यह कि एक किता आराजी नोन जैड. ए. स्थित ग्राम लश्कर पुर तहसील व जिला आगरा मुहाल चौबे लाल कच्चा नम्बर एक तादादी तीन बीघा चौदह बिस्वा, कि जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की श्रीमती विद्यावती देवी मालिक व काबिज व जिमींदार थी।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For [illegible] Foundry

[illegible] Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181670

अखलाँख खाँ
कोषाधिकारी
26 NOV 2009
कोषागार, आगरा

खसरा संख्या–	रकबा बिस्वा में
318	12
319	7
320	5
321	12
322	7
323	3
324	17
832	5
833	9
किता नौ	तीन बीघा चौदह बिस्वा
लगानी	रुपया 64/25 पैसे साल

1.1 यह कि उक्त श्रीमती विद्यावती देवी ने उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिकाना हकों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती विद्यावती उक्त बहक ला० चमन लाल पुत्र ला० बाल मुकन्द अग्रवाल निवासी मोहल्ला भण्डारी कस्बा बटाला जिला गुरूदासपुर पूर्वी पंजाब लेख दिनांक 23/12/1957 व निबन्धन दिनांक 27/12/1957 मुन्दर्जा बही

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

For S. C. ... Foundry

... Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181674

26 NOV

संख्या 1 जिल्द संख्या 1401 पृष्ठ 219 से 222 क्रमांक 4976 व तुलन्ना क्रमांक 4977 पत्रावलतर उप निबन्धक आगरा के उक्त ला० चानन लाल को विक्रय कर दिया।

1.2 यह कि ला० चानन लाल की उक्त भूमि पर ला० काशी नाथ अग्रवाल पुत्र ला० कामता प्रसाद ने अपने नियोजन पर अपना एक मकान संख्या 3682 हरीपर्वत वार्ड आगरा का निर्माण कराया। बाद मे उन्होंने अपने इस मकान की तहती भूमि को द्वारा पट्टापत्र लिखित काशीनाथ अग्रवाल उक्त व ला० चानन लाल मौसूमा खाटमदीगर लेख दिनांक 10/09/1958 व निबन्धन दिनांक 15/12/1958 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द सं० 1464 पृष्ठ 54 से 57 क्रमांक – पंदफ्तर उप निबन्धक आगरा के दिनांक 10/12/1958 से बम्याद 84 वर्ष के वसायेह किराया 10/– रुपया साल के श्री चानन लाल से पट्टे पर प्राप्त करके पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक बने।

1.3 यह कि लाला काशीनाथ अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी व पुत्रगण श्री जगदीश प्रसाद व श्री महावीर प्रसाद व श्री विश्नू प्रसाद के मध्य दिनांक 29/11/1967 को आपसी सहमति से लिखित बँटवारा हो गया। जिसके आधार पर जायदाद मजकूर श्री विश्नू प्रसाद के हक मे प्राप्त हुई। श्री विश्नू प्रसाद का दिनांक

FOR S... INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

Priti Bansal

अनु गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 181675

23/01/2000 को निधन हो गया। उन्होंने अपने वारिसान के रुप में प्रथम पत्नी श्रीमती कोकिला अग्रवाल से पैदा एक पुत्र श्री जुगल किशोर व एक पुत्री श्रीमती प्रीति अग्रवाल तथा द्वितीय विवाह की पत्नी श्रीमती सीमा एवं एक पुत्री कुमारी तन्वी को वारिसान के रुप में छोड़ा। श्रीमती कोकिला अग्रवाल का दिनांक 09/06/1985 को निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात् श्री विष्णु प्रसाद ने द्वितीय विवाह श्रीमती सीमा से किया था। इस प्रकार प्रथमपक्ष बतौर वारिसान श्री विष्णु प्रसाद के उक्त जायदाद पर बहैसियत मालिक व लहती जमीन पट्टाशुदा के बहैसियत पट्टेदार काबिज व दखील चले आते हैं।

1.4 यह कि उपरोक्त विवरणानुसार उक्त प्रथमपक्ष उक्त मकान संख्या 26/232 ए के निर्माण के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हैं और उसकी लहती भूमि के एकल पट्टाधारक हैं।

1.5 यह कि उक्त मकान व लहती पट्टाशुदा भूमि में अन्य कोई दावेदार या दखीलकार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष को उक्त मकान व लहती पट्टाशुदा भूमि या उसके भाग को बेचने आदि से रोक सके तथा उक्त मकान व

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

Priti Bansal

अनु गुप्ता

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181676

26 NOV

खाली पट्टाशुदा भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, हुक्म इम्तनाई आदि आदि से बाकई पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अध्यापित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है तथा उक्त भूमि या उक्त मूल विक्रयपत्र आदि किसी भी बैंक या जमानत आदि आदि में नहीं दिये गये हैं।

1.6 यह कि निर्माण पुराने होने के कारण जर्जर हो गये हैं और बहुत खराब दशा में है और उसका अधिकांश भाग गिर गया, अतः उसका मलवा सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया और मौजूदा निर्माण व पट्टाशुदा भूमि से प्रथमपक्ष को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है तथा प्रथमपक्ष अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उक्त मकान व खाली पट्टाशुदा भूमि को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर केवल द्वितीयपक्ष अपने लिये उपयुक्त पाकर उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार है और वर्तमान में सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे हैं और वर्तमान में इससे अधिक कीमत मिलना सम्भव

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Pinky Bansal

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 651995

23 NOV 2009

[illegible], आगरा

नहीं है। अतः प्रथमपक्ष उक्त मकान एवं सहती फ्रीहोल्ड भूमि को द्वितीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार है।

2 यह कि उक्त ला० बालमुकन्द अग्रवाल का संयुक्त कारोबार था। उनके चार पुत्रगण सर्वश्री चानन लाल उक्त व मनोहर लाल व धर्मपाल व केदार नाथ थे। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को संयुक्त कारोबार के धन से क्रय किया था और उक्त भूमि के कुछ भाग पर निर्माण कराया, तदोपरान्त ला० चानन लाल का नामांकन नगर निगम आगरा के अभिलेखों में दर्ज हो गया।

3 यह कि ला० चानन लाल ने अपने पिता ला० बाल मुकन्द अग्रवाल तथा अपने भाई ला० केदार नाथ व उनके पुत्र श्री नंद किशोर पुत्र ला० केदार नाथ एवं अपने पुत्र श्री राज कुमार को भागीदार बनाते हुये एक भागीदारी फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री (बाल मुकन्द चानन लाल) का द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 22/03/1977 को गठन किया। फर्म के कारोबार का संचालन उक्त भूमि पर बने हुये उक्त भवन एवं शेष खाली भूमि पर किया जाता था क्योंकि बाल मुकन्द का कारोबार संयुक्त था। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार के धन से क्रय किया था। अतः उक्त भूमि के

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

For B. [illegible] Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 651996

23 2009

स्वामित्व एवं फर्म मैसर्स सी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गये, जिसके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद संख्या 155/1976 न्यायालय सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चामन लाल) स्थापित हुआ, जिसके विरुद्ध एक सिविल रिवीजन संख्या 264/1980 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (केदार नाथ बनाम चामन लाल) स्थापित हुई। रिवीजन के दौरान पक्षकारों के मध्य इस आधार पर समझौता हो गया कि पक्षकारों के मध्य उक्त जायदाद एवं फर्म मैसर्स सी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04/1/1980 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 एस0 माथुर को पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया। इस मध्य ला0 चामन लाल का दिनांक 23/12/1980 को स्वर्गवास हो गया। मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 20/03/1981 को अपना निर्णय (अवार्ड) पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पक्षकारों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, परन्तु पक्षकारों के मध्य पुनः समझौता हो गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 155/1976 न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चामन

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For C. C. Iron Foundry

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 695013

NOV 2009

लाल) की पत्रावलि आदेश दिनांक 06/03/1984 के द्वारा स्वयं वाद का अंतिम निस्तारण करने के लिये उच्च न्यायालय में भेजा गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09/03/1984 के द्वारा वाद संख्या 155/1978 को राजीनामा दिनांक 05/03/1984 के आधार पर अंतिमरूप से निर्णीत कर दिया और मध्यस्थ माननीय न्यायमूर्ति श्री जी० सी० माथुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20/03/1981 की पुष्टि की। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/03/1984 अंतिम हो चुका है। राजीनामा में उपरोक्त जायदाद का स्वामित्व सभी पक्षकारों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स सी० सी० आयरन फाउण्ड्री आगरा का स्वीकार किया गया और स्व० वामन लाल के विधिक उत्तराधिकारीगण, जो उक्त फर्म के भागीदार थे, ने अपने हिस्से का रुपया लेकर उक्त फर्म से निवृत्त (रिटायर) हो गये। परिणाम स्वरूप उक्त फर्म मैसर्स सी० सी० आयरन फाउण्ड्री में केवल श्री केदार नाथ व श्री नंद किशोर भागीदार रह गये। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मैसर्स सी० सी० आयरन फाउण्ड्री की सम्पत्ति है और वह उसकी एकमात्र मालिक व काबिज़ व दखील है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For C.C. Iron Foundry

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 325825

४. यह कि उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के भागीदार ला० केदार नाथ की मृत्यु दिनांक 10/03/2003 को हो गई। अतः उक्त फर्म का संविधान स्वतः भंग हो गया। फर्म का कारोबार बंद हो चुका है। ला० केदार नाथ की अंतिम इच्छा के अनुसार एवं पारिवारिक व्यवस्था में उनके सभी उत्तराधिकारियों की सहमति पर उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल उक्त फर्म की भागीदार बन गई। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म का संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के द्वारा लिखा गया, जिसके अनुसार उक्त फर्म के केवल दो भागीदार श्री नंद किशोर एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल हैं। यद्यपि उक्त फर्म का कारोबार बंद हो चुका है फिर भी पुराने कारोबार के कुछ देने–लेने आदि हैं।

५. यह कि उपरोक्त विवरणानुसार उक्त सीमांकित सम्पत्ति की लहती भूमि की उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री एकमात्र जिम्मेदार व मालिक है और आवासीय निर्माण के विक्रेता प्रथमपक्ष मालिक व उक्त लहती पट्टाशुदा भूमि के पट्टाधारक है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

Priti Bansal

6. यह कि उक्त सम्पत्ति दोनों विक्रेतागण के लिये उपयोगी नहीं है और पुरानी एवं जर्जर होने के कारण अधिकांश निर्माण गिर कर समाप्त हो चुके हैं और मौके की जो स्थिति है वह संलग्नक फोटो से स्पष्ट है।

7. यह कि उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई दावेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धर्मादा आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथम या द्वितीयपक्ष ने प्राप्त किया है। उक्त दोनों पक्षों के अपने सभी वर्णित विलेख मौजूद हैं और किसी भी आड या जमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

8. यह कि उक्त सम्पत्ति से हम विक्रेतागण प्रथम या द्वितीयपक्ष को कोई लाभ नहीं है और निष्प्रयोजित होने के कारण उसकी देखभाल एवं करों की अदायगी में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अतः दोनों पक्षों ने एकमत से यह सुनिश्चित किया है कि दोनों पक्ष मिलकर यदि उक्त सम्पत्ति को विक्रय करेंगे तो अधिक धन प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल क्रेता तृतीयपक्ष ही सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक कीमत प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः हम प्रथम एवं द्वितीयपक्ष मिलकर उक्त सीमांकित सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

9. यह कि विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति के विक्रय का अनुबन्धपत्र लेख दिनांक 15/07/2009 व निबन्धन दिनांक 15/07/2009 मुन्दर्जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6603 पृष्ठ संख्या 241 से 274 क्रमांक 2712 बदफ्तर उप निबन्धक प्रथम आगरा सदर, तृतीयपक्ष के साथ सशर्त तय किया जिसकी शरायत के अनुसार प्रथमपक्ष अपने साथ उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष को इस विक्रयपत्र में शामिल करके उक्त सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार है और इसमें विक्रेता द्वितीयपक्ष अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

10. यह कि चतुर्थपक्ष वरासूल श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल एवं श्री नंद किशोर अग्रवाल, कि जो उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री के संविधानिकरूप से भागीदार भी हैं, उक्त ला० केदार नाथ अग्रवाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण हैं। ला० केदार नाथ अग्रवाल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके समस्त उत्तराधिकारीगण के उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार ला० केदार नाथ अग्रवाल की उक्त भागीदारी फर्म में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल मालिक व दावेदार बनी और अन्य उत्तराधिकारीगण अर्थात उक्त चतुर्थपक्ष का कोई हक या दावा आदि न तो स्थापित हुआ और न माना गया और उक्त फर्म में ला० केदार नाथ अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल भागीदार बन चुकी हैं। अतः चतुर्थपक्ष का उक्त सम्पत्ति में कोई हक या दावा आदि नहीं है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. ...
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. ...
DIRECTOR

Auth. Signatory

अतः यह क्रेता तृतीयपक्ष के स्वत्व व अधिकार आदि की सुरक्षा के लिये एवं वास्तविक तथ्यों एवं घटनाक्रम की पुष्टि के लिये इस विक्रय में अपनी सहमति एवं अनापत्ति प्रकट करने के लिये पक्ष बने हैं।

11. यह कि उक्त सभी मुख्तारनामे बाजाब्ता निष्पादित एवं निबन्धित हुये हैं और आज तक कायम व बरकरार हैं और उनके किसी भी अधिकार आदि में कोई कमी नहीं हुई है और उनके निष्पादकगण जीवित हैं।

अतः हम दोनों विक्रेतागण प्रथम एवं द्वितीयपक्ष ने संयुक्तरूप से बाजाब्ताकारी एवं सहमति चतुर्थपक्ष की स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर उक्त भूमि क्षेत्रफल 277.69 वर्गमीटर मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर मुहाल पीली लाल कब्जा नम्बर एक व उस पर बने आवासीय पुराने निर्माण कॉरपोरेशन संख्या 26/232-ए, हरीपर्वत वार्ड आगरा, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया है, को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से दिलमुक्ता बएवज 34,50,000/- चौतीस लाख पचास हजार रूपया कि आधे जिसके 17,25,000/- सत्रह लाख पच्चीस हजार रूपया होते हैं बदस्त मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, उक्त क्रेता तृतीयपक्ष, के गुड टायटिल के साथ बैय कतई किया और बेच दिया।

विक्रय संविदा इस प्रकार हैं –

1. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 29,00,000/- उनतीस लाख रूपया एवं विक्रेता द्वितीयपक्ष ने अपने हिस्से की कीमत के कुल 5,50,000/- पाँच लाख पचास हजार रूपया इस विक्रयपत्र के निष्पादन से पूर्व नीचे लिखे विवरणानुसार क्रेता तृतीयपक्ष से प्राप्त करके मुजरा दिया। इस तरह विक्रेतागण को कोई रूपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य होगा।
2. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि व निर्माण पर से अपना कब्जा व दखल हटा लिया और क्रेता तृतीयपक्ष का कब्जा व दखल बेची गई भूमि व निर्माण पर नाप व सीमाओं के अनुसार करा दिया और विक्रेता द्वितीयपक्ष ने विक्रीत भूमि का स्वामित्व क्रेता तृतीयपक्ष को देकर उक्त विक्रीत भूमि का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया।
3. यह कि दोनों विक्रेतागण के स्थान पर अब क्रेता तृतीयपक्ष उक्त सम्पत्ति एवं भूमि के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हो गये।
4. यह कि अब क्रेता तृतीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि से बहैसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे। ऋण, विक्रय आदि करें। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। निर्माण, नव-निर्माण आदि करावें और चाहे जिस प्रकार स्तैमाल में लावें अथवा जो चाहे सो करें।

FOR SURYA INFRABUILD (INDIA) PVT LTD

विनोद कुमार

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (INDIA) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

अनु गुप्ता

Authorised Signatory

5. यह कि क्रेता तृतीयपक्ष विक्रीत सम्पत्ति एवं भूमि पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करालें, दोनों विक्रेतागण अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

6. यह कि आज तक के बकाया लगान/कर आदि, यदि कोई होंगे, तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के क्रेता तृतीयपक्ष अदा करेंगे।

7. यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा क्रेता तृतीयपक्ष से करे और उसके कारण या किसी भी विक्रेतागण के डिफेक्टिव टायटिल से या उनकी किसी गलत ब्यानी के कारण या विक्रीत भूमि पर पहले से कोई बार या भुर्अ आदि पाये जाने के कारण या इस विक्रय या विक्रयपत्र में कोई डिफेक्ट पाये जाने के कारण कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जाये तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद व हर्जा व खर्चा के बजिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म विक्रेतागण व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें विक्रेतागण व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नही होगी।

8. यह कि चतुर्थपक्ष का उक्त हस्तांतरित सम्पत्ति में न तो कोई हक या दावा आदि है और न उनके द्वारा हस्तांतरित किया गया है, बल्कि उनके पूर्ण संज्ञान में एवं उनकी पूर्ण सहमति पर प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को क्रेता तृतीयपक्ष के पक्ष में हस्तांतरित किया है। अतः यदि चतुर्थपक्ष या उनका कोई उत्तराधिकारी आदि इस हस्तांतरण के विपरीत किसी भी प्रकार का वाद–विवाद या माँग आदि करेगा तो ऐसी दशा मे चतुर्थपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों आदि की माँग एवं समस्त प्रकार के दावे या झगड़े आदि पूर्णतः सिरे से शून्य एवं निष्प्रभावी होंगे और माने जावेंगे और उक्त दावे आदि के कारण से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का क्रेता तृतीयपक्ष से निकल जाये तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद व हर्जा व खर्चा के बजिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म चतुर्थपक्ष व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें चतुर्थपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. यह कि इस विक्रय व विक्रयपत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन, निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो क्रेता तृतीयपक्ष की माँग व खर्चे पर दोनों विक्रेतागण व चतुर्थपक्ष निष्पादित व निबन्धित करने के लिये बाध्य हैं और रहेंगे।

10. यह कि उक्त अनुबन्धपत्र एवं इस विक्रयपत्र का कुल खर्च क्रेता तृतीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल विक्रयपत्र क्रेता तृतीयपक्ष के पास रहेगा। दोनों विक्रेतागण ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्राप्त कर ली है।

11. यह कि विक्रेतागण ने उक्त कागजात क्रेता तृतीयपक्ष के सुपुर्द कर दिये है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. — MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. — DIRECTOR

तन्वी अग्रवाल

अनु गुप्ता

Signatory

12. यह कि हम पक्षों के स्थाई आयकर लेखा संख्या निम्नलिखित है: –

जुगल किशोर अग्रवाल										
श्रीमती सीमा अग्रवाल										
कुमारी तनवी अग्रवाल										
श्रीमती प्रीति अग्रवाल										
मैसर्स बी. सी. आयरन फाउन्ड्री	A	A	B	F	B	3	9	3	1	A
मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	A	A	M	C	S	3	9	6	3	R

13. यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया क्रेता तृतीयपक्ष से नीचे लिखे चैकों के द्वारा प्राप्त किये–

चैक सं0	दिनांक–	तादादी–	बैंक
762253	23/06/2009	2,50,000/–	पंजाब नेशनल बैंक,
762254	23/06/2009	2,50,000/–	रिफोनिया बेलनगंज शाखा
762265	15/09/2009	5,00,000/–	आगरा
762274	16/11/2009	3,00,000/–	
762288	02/12/2009	4,00,000/–	
762289	02/12/2009	12,00,000/–	
762290	02/12/2009	5,50,000/–	

कुल योग 34,50,000/– चौंतीस लाख पचास हजार रुपया मात्र।

इस प्रकार दोनों विक्रेतागण को अब क्रेता तृतीयपक्ष से कोई रुपया पाना बाकी नहीं है।

इस विक्रयपत्र के चौथिया 1,72,500/– रुपया के स्टाम्प संलग्नक हैं।

[illegible]

नाम– जुगल किशोर अग्रवाल				
बायें हाथ के चिन्ह निशान–				
कनिष्ठा अंगुली–	अनामिका अंगुली–	मध्यमा अंगुली–	तर्जनी अंगुली–	अंगूठा–
दाहिने हाथ के चिन्ह निशान–				
अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For B.C. Iron Foundry

Signatory

Priti Bansal

नाम– श्रीमती [illegible] अग्रवाल

बायें हाथ के निशान फिंगर

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के निशान फिंगर-

अंगूठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली

नाम– कुमारी [illegible] अग्रवाल

बायें हाथ के निशान फिंगर

कनिष्ठा अंगुली–	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के निशान फिंगर

अंगूठा–	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली–	अनामिका अंगुली–	कनिष्ठा अंगुली–

नाम– श्रीमती [illegible] अग्रवाल

बायें हाथ के निशान फिंगर

कनिष्ठा अंगुली–	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली–	तर्जनी अंगुली	अंगूठा

दायें हाथ के निशान फिंगर–

अंगूठा–	तर्जनी अंगुली–	मध्यमा अंगुली–	अनामिका अंगुली–	कनिष्ठा अंगुली–

नाम– अजय कुमार अग्रवाल

बायें हाथ के निशान फिंगर–

कनिष्ठा अंगुली–	अनामिका अंगुली–	मध्यमा अंगुली–	तर्जनी अंगुली–	अंगूठा–

दायें हाथ के निशान फिंगर–

अंगूठा–	तर्जनी अंगुली–	मध्यमा अंगुली–	अनामिका अंगुली–	कनिष्ठा अंगुली–

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

For [illegible]

Authorised Signatory

Priti Bansal

अन्नू गुप्ता

नाम- प्रवीन कुमार

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दाहिने हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- विनोद कुमार गुप्ता

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दाहिने हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- विजय कुमार अग्रवाल

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दाहिने हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

नाम- श्रीमती अंजू गुप्ता

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

कनिष्ठा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	तर्जनी अंगुली-	अंगूठा-

दाहिने हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स-

अंगूठा-	तर्जनी अंगुली-	मध्यमा अंगुली-	अनामिका अंगुली-	कनिष्ठा अंगुली-

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

प्रवीन

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

विनोद कुमार अग्रवाल

DIRECTOR

For [illegible] Founders

Auth. Signatory

Priti Bansal

अन्जू गुप्ता

अतः यह विक्रयपत्र हम पक्षों ने स्वेच्छा से निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख दिनांक 02 दो माह दिसम्बर वर्ष 2009 ईस्वी। इसका प्रारूप हनुमान प्रसाद कौशल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील जिला आगरा पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया जिससे संतुष्ट होकर पक्षकारों ने इसे नीचे लिखे साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया।

हस्ताक्षर जुगल किशोर अग्रवाल विक्रेता—

हस्ताक्षर [illegible] अग्रवाल विक्रेता—

हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल [illegible] मुख्तार मिनजानिब श्री नन्द किशोर [illegible] एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल भागीदार मैसर्स बी. सी. [illegible]

For B. C. [illegible] Foundry

Auth. Signatory

हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स [illegible] लिमिटेड क्रेता—

हस्ताक्षर अजय कुमार [illegible] मुख्तार मिनजानिब श्रीमती [illegible] अग्रवाल व श्रीमती [illegible] सहमति [illegible] पक्ष—

गवाह श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

हस्ताक्षर श्रीमती वीणा अग्रवाल विक्रेता—

हस्ताक्षर श्रीमती प्रीति अग्रवाल [illegible]

हस्ताक्षर [illegible] अग्रवाल सहमति पक्ष—

हस्ताक्षर विनोद कुमार गुप्ता अधिकृत निदेशक मैसर्स [illegible] लिमिटेड क्रेता—

हस्ताक्षर श्रीमती अंजू गुप्ता [illegible] पक्ष—

गवाह श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

SITE PLAN OF PROP. No. 26/232 A KHASRA No. 318, 324
682, 683 A1 GRAM LASHKARPUR AGRA
OWNER:- SRI JUGAL KISHOR AGARWAL & OTHERS
SOLD TO: M/S SURYA INFRA BUILD (IND) PVT. LTD.
SHOWN IN RED COLOUR
TOTAL AREA:- 277.56 SQMTS
COVD. AREA:- 18.24 SQMTS

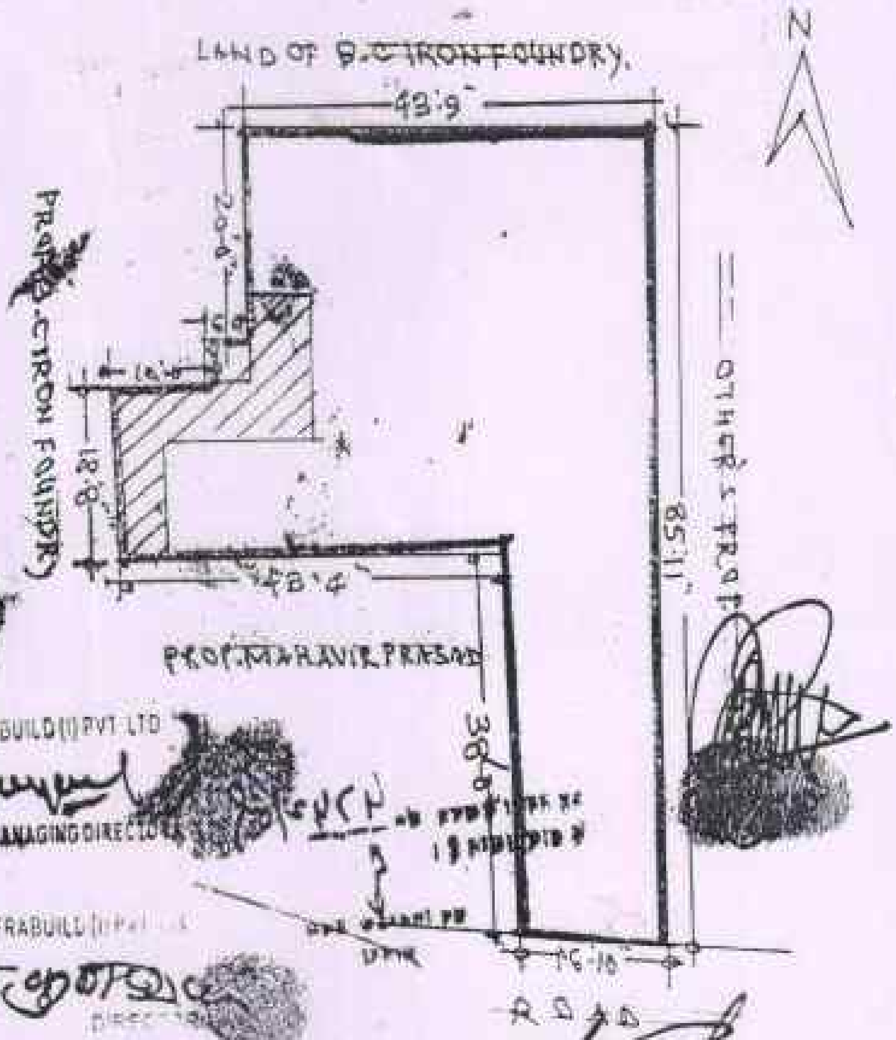

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

SURESH CHAND
Surveyor D. Man
17/66, Bundu Katra
AGRA